न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी- चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी -गितेश श्री मालवीय-RAS

प्रकरण संख्या- डी 48 सन-2015

पंजीयन दिनांक -18/06/2015

- उनवान -

1- प्यारा पिता शोभा जाति खटीक आयु वयस्क निवासी डूंगला जिला -चित्तौड़गढ़

2- कालू पिता शोभा जाति खटीक आयु वयस्क निवासी डूंगला जिला -चित्तौड़गढ़

3- मांगू पिता शोभा जाति खटीक मृतक के बजाय

3/1 - किशनलाल पिता मांगू जाति खटीक आयु वयस्क निवासी डूंगला जिला - चित्तौड़गढ़

3/2 - रोशनलाल पिता मांगू जाति खटीक आयु वयस्क निवासी डूंगला जिला - चित्तौड़गढ़

4- छगन पिता शोभा जाति खटीक -मृतक की बजाय

4/1 - भेरूलाल पिता छगन जाति खटीक निवासी डूंगला जिला -चित्तौड़गढ़

4/2 - सत्यनारायण पिता छागन जाति खटीक निवासी डूंगला जिला -चित्तौड़गढ़

5- कालीबाई पुत्री पन्नालाल जाति खटीक निवासी डूंगला जिला -चित्तौड़गढ़

6- केशुराम पिता रूपा जाति खटीक निवासी डूंगला जिला -चित्तौड़गढ़

----अपीलान्ट

बनाम

1- दलीचंद पिता रूपा जाति खटीक निवासी डूंगला-मृतक की बजाय

1/1 -मोहनलाल पिता दलीचंद जाति खटीक निवासी डूंगला जिला -चित्तौड़गढ़

1/2 -सुरेश कुमार पिता दलीचंद जाति खटीक निवासी डूंगला जिला - चित्तौड़गढ़

1/3 -पुष्कर्राज पिता दलीचंद जाति खटीक निवासी डूंगला जिला -चित्तौड़गढ़

1/4 -गुड्डी कुमारी पिता दलीचंद जाति खटीक निवासी डूंगला जिला -चित्तौड़गढ़

1/5 -संतोषी पिता दलीचंद जाति खटीक निवासी डूंगला जिला –चित्तौड़गढ़

1/6- चांदीबाई पत्नी दलीचंद जाति खटीक निवासी डूंगला जिला -चित्तौड़गढ़

2 -चांदू पिता फकीर जाति बलाई आयु वयस्क निवासी सेमलिया तहसील डूंगला जिला -चित्तौड़गढ़

3- सरकार जरिये तहसीलदार डूंगला तहसील डूंगला जिला -चित्तौड़गढ़

--- रेस्पोंडेंट

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी डूंगला बमुकदमा नंबर 240/2010 दिनांक 27-07-2011 एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री

दिनांक 08-06-2012

उपस्थिति वक्त बहस---छोगा लाल जाट अधिवक्ता अपिलान्ट

बगदीराम धाकड़ अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1/1 से 1/6 तक

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित

पैरोकार सरकार- रेस्पोंडेंट संख्या – 3

निर्णय

दिनांक -11/05 / 2023

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 {वादी} व अपीलान्ट संख्या 6 { वादी} ने मिलकर अपीलार्थीगण संख्या 1 से 5 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 {प्रतिवादीगण} के विरुद्ध मौजा डूंगला स्थित वादग्रस्त आराजियात के संबंध में बटवाड़ा का वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण संख्या 1 से 5 प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए दिनांक 28/06/ 2011 को प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री तथा अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में दिनांक 27/07/2011 को अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । इसके साथ ही अपीलार्थीगण को सुने बगैर दिनॉक 08/06/2012 को इसे संशोधित करते हुए संशोधित डिक्री पारित कर दी । अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा निर्णय एवं डिग्री से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पोंडेंटगण को जरिये समन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रमांक एक दलीचंद पिता रूपा खटीक की मृत्यु होने से उनके वारिसान को पत्रावली पर लिया गया।

3. हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस को सुना ।

4.अपीलार्थीगण की तरफ से विद्वान अधिवक्ता छोगा लाल जाट द्वारा दोराने बहस अपील के मुख्य तत्वों को दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री नियमों एवं वाक्यतों व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में एकतरफा कार्रवाई करते हुए अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित किए गए जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किए जाने योग्य है। एक तरफा किया गया बंटवारा बटवारा नियम 18 से 21 के नियमों के अनुरूप नहीं है। अतः अपील को स्वीकार कर पत्रावली फाइनल डिक्री हेतु रिमांड किया जाना उचित है । धारा 5

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि एक तरफा निर्णय एवं डिक्री होने से प्रकरण की जानकारी नही हो सकी। अतः धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलंब को विस्तारित किया जाए एवं देरी को कंडोन किया जाए।

5. प्रत्युतर में अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया बंटवारा उचित है। बंटवारा मिट्स और बाउंड्स के आधार पर किया गया। प्रकरण की जानकारी अपीलान्टगण को थी और पुराने बंटवारे के अनरूप ही डिक्री की गई है जिसमें समस्त पक्षकारान की सहमति थी।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकॉर्ड का बारीकी से अध्ययन किया।

7. अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एवं इस संबंध में की गई बहस पर मनन किया और पाया की अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में देरी की गई जिसके ठोस कारण मौजूद है ।अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलंब को कंडोन करने का निर्णय लिया गया।

8. विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री तथा अंतिम निर्णय और डिक्री का अध्ययन किया और पाया कि अंतिम निर्णय एवं डिक्री अपीलार्थीगण की उपस्थिति में नही किए गए हैं। दिनांक 28/ 06/ 2011 को पत्रावली में प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री पारित की गई आदेशिका मे प्रतिवादीगण की उपस्थिति के संबंध में कुछ भी टिप्पणी उपलब्ध नहीं है। दिनांक 27 /07/2011 को अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। दिनांक - 08/ 06/ 2012 को वादी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 153 जा० दीवानी का प्रस्तुत किया एवं अंतिम निर्णय दिनाँक 27/07/2011 में पारित निर्णय की डिक्री में लेखन त्रुटि में संशोधन करने का निवेदन किया । इसी दिनांक 08/06/2012 को प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करके संशोधित डिक्री जारी करने का आदेश दिया गया। इस दौरान प्रतिवादीगण को सूचित करने का उल्लेख नहीं है। इससे साबित होता है कि अंतिम डिक्री के संशोधन के समय प्रतिवादीगण को सूचित नहीं किया गया जिससे उन्हें सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी निर्णय से पूर्व संबंधित पक्षकारों को सुना जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय एवम डिक्री खारिज किए जाने योग्य है । सभी पक्षकारों की उपस्थिति में पुनः अंतिम निर्णय एवं डिक्री जारी किया जाना उचित है।

9. उपर्युक्त संपूर्ण विवेचन के परिणाम स्वरूप अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी इंगला द्वारा पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनाँक 27/07/2011 एवं दिनाँक 08/ 06/2012 को पारित

संशोधित डिक्री को निरस्त किया जाता है। प्रकरण सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी डूंगला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मूलवाद में प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि अनुरूप निर्णय पारित करें।

यह निर्णय आज दिनांक 11/05/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार हो।

11/05/2023

(गितेश श्री मालवीय-आर ए एस)

राजस्व अपील प्राधिकारी

चितौड़गढ़ (राज०)

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)